(133)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भूरा/2017/4379 विरूद्ध आदेश दि.28-9-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 739/अपील/2012-13

1-श्रीमती राधाबाई पुत्री श्री मनमोद सिंह पत्नि कल्याणसिंह
निवासी ग्राम भोड़िया तहसील बरेली जिला रायसेन
2-विश्राम पुत्र स्व0श्री मनमोदसिंह
3-लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0श्री मनमोदसिंह
4-सावित्रीबाई पुत्री स्व0श्री मनमोदसिंह
5-सुमित्राबाई पुत्री स्व0श्री मनमोदसिंह
6- छोटीबाई पुत्री स्व0श्री मनमोदसिंह
7-देवकीबाई बेवा स्व0श्री कडोरी
8-हरीराम पुत्र स्व0श्री कडोरी
9- कमलेश पुत्र स्व0श्री कडोरी
10-छोटे पुत्र स्व0श्री कडोरी
निवासीगण बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन
11-भूरीबाई पुत्री स्व0कडोरी
निवासी पिपरिया
12-कमलाबाई पुत्री स्व0श्री कडोरी
निवासी पण्डाबम्होरी
13-रामकली पुत्री स्व0श्री कडोरी
निवासी घाना तहसील उदयपुरा जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

प्रमुख चिकित्सा सहायक एवं प्रभारी अधिकारी
म0प्र0शासन पशु चिकित्सालय बरेली
तहसील बरेली जिला रायसेन म0प्र0

.....अनावेदक

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-9-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका राधाबाई उसके पिता मनमोदसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम बरेली की प्रश्नाधीन भूमि पर फौती नामान्तरण हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/अ-6/2007-08 दर्ज कर दिनांक 12-3-2009 को नामान्तरण आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 2-2-2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28-9-2017 को आदेश पारित कर अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन वादित भूमि राज्य शासन द्वारा दो बार अधिग्रहित किये जाने एवं मौके पर पशु अस्पताल का कब्जा वर्ष 1955 से लगातार होने के बावजूद तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध किये गये नामान्तरण को निरस्त किया गया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखते हुये अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं अनावेदक द्वारा स्वीकारोक्ति के साथ चाही गई सहायता से हटकर विचारण न्यायालय का सम्पूर्ण आदेश निरस्त करने एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि करने में त्रुटि की है ऐसी स्थिति में दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अपीलीय न्यायालयों द्वारा इस बात को भी अनदेखा किया है कि उनके समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी वह मात्र 3.25 एकड़ जो दो बार में अधिग्रहित की गई थी जिसमें पशु चिकित्सालय भवन निर्मित होकर उक्त सम्पूर्ण भूमि पर फेंसिंग के साथ आधिपत्य में है जिस पर कोई विवाद ही नहीं है । मृतक द्वारा धारित शेष भूमि लगभग 10.00 एकड़ पर विचारण न्यायालय ने वारिसान हक में विधिसंगत नामान्तरण किया है ऐसी स्थिति में भी दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(3) अपीलीय न्यायालयों ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया है कि प्रकरण के अभिलेख में उपलब्ध प्रतिवेदन, साक्ष्य एवं अनावेदक द्वारा बताये गये रकबा 7.73 एकड़ में से रकबा 1.45 एकड़ मात्र रकबा 3.25 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है, जबकि आवेदकगण की इससे कई गुना अधिक अर्थात् लगभग 10.00 एकड़ भूमि होना प्रमाणित होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय के विधि अनुसार पारित आदेश को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्ती की पुष्टि करने में भूल की गई है ।

(4) व्यवहार न्यायालय में जो वाद था जिसेप्रमाणित करने में आवेदकगण असफल रहे हैं वह 1.55 के स्थान पर 1.80 अर्थात् मात्र 0.35 एकड़ का था जो कि आज भी अपीलीय न्यायालय में लंबित है, का लाभ अनावेदक को नहीं दिया जा सकता । दोनों अपीलीय न्यायालयों ने उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किये बगैर अनावेदक द्वारा चाही गई सहायता से हटकर मात्र प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के प्रभाव में आकर केवल वाद बहुलता को बढावा दिया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने सर्वे नम्बर 217/17, 201/33, 49, 216/39 की भूमि जो मनमोदसिंह के नाम थी, पर वारिसाना नामान्तरण किया है पशु चिकित्सालय सर्वे नम्बर 200 पर बना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मनमोदसिंह के नाम अंकित उक्त सर्वे नम्बरों पर पशु विभाग का कोई दावा नहीं है । नामान्तरण आदेशों से पशु विभाग प्रभावित नहीं था । अत: उनकी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपीलही आधारहीन थी । यदि पशु विभाग की भूमि पर आवेदकपक्ष का कब्जा था या है, तो वह पृथक कार्यवाही का विषय है । दोनों अपीलीय न्यायालय ने इन तथ्यों पर ध्यान

नहीं दिया है इसलिये दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-9-2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-02-2013 निरस्त किये जाते है । तहसीलदार, तहसील बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-03-2009 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर